Promotions of Physiotherapists

1927. SHRI H. HANUMANTHAPPA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the details of action Government have taken to provide time bound promotion to Physiotherapists and Occupational Therapists working in Delhi based Government Hospitals and C.G.H.S- on the pattern of Group 'A' officer of Health Ministry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): There is no such proposal under consideration to provide time bound promotion to Physiotherapists and Occupational Thera-piscts Working in Delhi based Government Hospitals and CG.H.S. ?

गुजरात में परिवार नियोजन कार्यक्रम

1928. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार किन-किन क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ;

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कार्य एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को गुजरात सहित संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) इस कार्यक्रम में जन्म-दरों और नवजात-शिशु, शिशु और मातृ मृत्यु दरों में कमी लाने का प्रयास किया गया है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गर्भ निरोधक और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/जिला परिवार कल्याण कार्यालयों, ग्रामीण, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों, प्रसवोत्तर केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेन्द्रों आदि के रूप में एक विस्तृत आधारभूत ढांचे की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्मदर को 1951 में प्रति हजार जनसंख्या पर 41.7 के स्तर से कम करके प्रति हजार जनसंख्या पर 29.9 (1990 : अनन्तिम) कर दिया गया है. शिशु-मृत्यु दर को 1951 में 146 प्रति हजार जीवित जन्मों के स्तर से कम करके 80 प्रति हजार जीवित जन्म तक नीचे लाया गया है और दम्पत्ती सुरक्षा दर 1970-71 में .104% के स्तर से बढ कर 44.1% (31-3-1991) हो गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन दर्ज किए गए मामले

2919. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और सजा दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया उनमें से कुछ को या तो छोड़ दिया गया है अथवा उनके खिलाफ मामलों को वापस ले लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और